निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1944 (श0)
(सं0 पटना 179) पटना, मंगलवार, 28 फरवरी 2023

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

अधिसूचना
24 फरवरी 2023

सं० जी०सां०–07/2022/232——जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) से संबंधित पूर्ववत संरचना में सरलीकरण करते हुए स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :–

क्रमांक	पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	नगर निगम/नगर परिषद्
2	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	नगर पंचायत
3	प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए

2. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में 30 दिनों तक जन्म और मृत्यु की घटित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए पदेन रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	अधीक्षक/उपाधीक्षक	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/सदर अस्पताल/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल
2	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

3. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 4 की उपधारा (2) एवं धारा 7 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 दिनों तक जन्म और मृत्यु की घटित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के नियंत्रणाधीन, पदेन उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है :–

क्रमांक	पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक	उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लिए
2	संकलक/कम्पाईलर	उप–रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)	नगर निगम/नगर परिषद्

4. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 10 की उप–धारा (1) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) को देने हेतु स्तम्भ '2' में अंकित निम्नलिखित जनप्रतिनिधि/पदाधिकारी को उनके पदनाम के सम्मुख स्तम्भ '4' में उल्लिखित क्षेत्र के लिए अधिसूचक नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	जनप्रतिनिधि/पदाधिकारी	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन पदेन पदनाम	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
1	मुखिया/सरपंच/पंचायत सचिव/ऑगनवाड़ी सेविका/चौकीदार	अधिसूचक	अपने ग्रामीण कार्यक्षेत्र के लिए
2	वार्ड सदस्य/ऑगनवाड़ी सेविका	अधिसूचक	अपने शहरी कार्यक्षेत्र के लिए
3	श्मशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी	अधिसूचक	अपने कार्यक्षेत्र के लिए
4	निजी अस्पताल/प्रसूति या परिचर्या गृह के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी	अधिसूचक	अपने कार्यक्षेत्र के लिए

5. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा इससे संबंधित पूर्व निर्गत सभी कार्यालय आदेश/अधिसूचना को विलोपित किया जाता है।

6. पदाधिकारी के पदनाम में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नाम से संबंधित पदाधिकारी को कार्यालय आदेश द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

7. दिनांक 24.02.2023 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरूनीश चावला,
अपर मुख्य सचिव।

The 24th February 2023

No. – Ji Sa.-07 /2022/232—In exercise of the power conferred by Sub-rule (1) under Section 7 of Registration of Births and Deaths Act, 1969, by simplification of the erstwhile structure of Registrar (Births and Deaths), the following officers named as mentioned in column '2' is appointed as Registrar (Births and Deaths) for area mentioned in column '4'.

Sl No	Officer	Designation as per Births and Deaths Registration Act, 1969	Jurisdiction
1	2	3	4
1	Assistant Statistical Officer	Registrar (Births and Deaths)	Nagar Nigam/ Nagar Parishad
2	Block Statistical Officer	Registrar (Births and Deaths)	Nagar Panchayat
3	Block Statistical Officer	Registrar (Births and Deaths)	Rural area of Block concerned

2. In exercise of the power conferred by Sub-rule (1) under Section 7 of Registration of Births and Deaths Act, 1969, the following officers named as mentioned in column '2' is appointed as Registrar (Births and Deaths) under the Registration units within the Health Institution, for area mentioned in column '4' for registration of Births and Deaths events upto 30 days from the date of occurrence.

Sl No	Officer	Designation as per Births and Deaths Registration Act, 1969	Jurisdiction
1	2	3	4
1	Superintendent/ Dy-Superintendent	Registrar (Births and Deaths)	Medical College & Hospital/ District Hospital/ Sub-Divisional / Referral Hospital
2	Medical Officer In-Charge	Registrar (Births and Deaths)	Primary Health Centre/ Community Health Centre

3. In exercise of the power conferred by Sub-rule (2) under Section 4 & Sub-rule (5) under Section 7 of Registration of Births and Deaths Act, 1969, the following officers named as mentioned in column '2' is appointed as Sub-Registrar (Births and Deaths) under concerned Registrar (Births and Deaths) for area mentioned in column '4' for registration of Births and Deaths events upto 30 days from the date of occurrence.

Sl No	Officer	Designation as per Births and Deaths Registration Act, 1969	Jurisdiction
1	2	3	4
1	Junior Field Investigator	Sub-Registrar (Births and Deaths)	Rural area of Block concerned
2	Compiler	Sub-Registrar (Births and Deaths)	Nagar Nigam/ Nagar Parishad

4. In exercise of the power conferred by Sub-rule (1) (iii) under Section 10 of Registration of Births and Deaths Act, 1969, the following public representatives/officers named as mentioned in column '2' is appointed as 'Notifier' for giving information related to Births and Deaths events to concerned Registrar (Births and Deaths) for area mentioned in column '4'.

Sl No	Public Representative/ Officer	Designation as per Births and Deaths Registration Act, 1969	Jurisdiction
1	2	3	4
1	Mukhiya/ Sarpanch/Panchayat Sachiv/Anganwadi Sevika/ Choukidar	Notifier	within their jurisdiction in rural area
2	Ward Member/ Anganwadi Sevika	Notifier	within their jurisdiction in urban area
3	Person-incharge of Cemetary/ Cremation Ground/ Graveyard (Burial Place)	Notifier	within their jurisdiction
4	Medical Officer In-Charge of Private Hospital/ Maternity or Nursing Home	Notifier	within their jurisdiction

5. All the earlier office orders/notifications related to this issued/notified by Directorate of Economics and Statistics, Planning and Development Department, Govt. of Bihar, are hereby annuled.

6. In-case of change in the designation of an officer, the changed designation would be replaced by an office order.

7. This proposal has been approved by the State Cabinet on 24.02.2023.

8. This notification will be effective from the date of issue.

By the order of Governor of Bihar,
Arunish Chawla,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 179-571+500-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in